



सेवा में
निदेशक/प्राचार्य,

Jahangirabad Educational Trust's Group of Institutions, faculty of Engineering,Barabanki

JAHANGIRABAD FORT JAHANGIRABAD

विषय: रैशिक सत्र 2016-17 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के हांगरा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ०५० शासन की सम्बद्धता समिति हांगरा की गई संस्थायों के क्रम में सन्दर्भ संख्या 2354(III) / सोलह-१-२०१६-१३(५) / २०१५ दिनांक ०३.०६.२०१६ में निर्गत शासनादेश के अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की वारा २३(२) के अधीन ना० २०१६ कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम :-

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	Intake Kept in abeyance	Affiliation Intake Approved
B.TECH.	CIVIL ENGG.	Shift I	60	9	51
B.TECH.	COMPUTER SC. & ENGG.	Shift I	60	9	51
B.TECH.	ELECTRICAL ENGG.	Shift I	60	9	51
B.TECH.	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	Shift I	60	9	51
B.TECH.	MECHANICAL ENGG.	Shift I	60	9	51

उपरोक्तानुसार वर्णित प्रवेश क्षणता के साथ स्वतित पोसित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रैशिक सत्र 2016-17 हेतु विश्वविद्यालय के हांगरा अस्थाई सम्बद्धता की सही स्थीकृति प्रदान की जाती है।

१. संस्था हांगरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/ डा० ए०पी०ज० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय हांगरा निर्धारित भूमि, नगर, अवस्थाएँ पाठ्यक्रम सुनिश्चित प्रदान-पाठ्यन-/पाठ्यचार्य, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुभात, रैशिक निराकार तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षण में दर्जाएँ गई कमियों/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की रिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धालंब को होगा।

२. निरीक्षण मण्डल हांगरा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ के लेखा का अडिट भी विश्वविद्यालय हांगरा किसी भी समय किया जायेगा।

३. बी.कार्प/एम.कार्प./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को कार्मसी काउसिल आफ इंडिया एवं कार्यसिल आफ आकिलेक्वर के हांगरा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने की दशा में एवं अनातारिक, पी.आई.आई., सी.आई.ए. के हांगरा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के हांगरा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

४. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा० ए०पी०ज० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०५० द्वारा प्रवेश/सुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी तथा नियमन समिति हांगरा नियमानुसार अन्यथा फीस ही प्रवर्तित छात्रों से लेगी। योजना प्रयोगशाला से सम्बद्धित शासन/विश्वविद्यालय हांगरा नियमित सूचना संस्था समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सामान करने अथवा प्रवेश क्षणता कम करने की कार्यवाही की जायेगी।

५. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त हांगरा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी सुल्क न जमा करने तथा शीर्षों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती हो तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

६. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०५० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम नियम २०१० के (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधिकों का पालन संस्था हांगरा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

७. संस्था ०१ अगस्त, २०१६ के पूर्व नियमानुसार संस्थाओं हांगरा उसे अनुमय प्रवेश क्षमता के साथेके नियमानुसार संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अहंता घारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण करेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बद्धता समाप्त अपेक्षित विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा। एवं इस आशय का नोटराईज़ रास्थ पत्र देना होगा कि उनके हांगरा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय हांगरा इनके वर्तत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूटरचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

८. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद

पर बयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य प्रेषित कराये। (अध्याय:6.15)

9. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संख्या छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय वो अवश्य सुनिश्चित करें। (अध्याय:6.18)

10. शैक्षिक एवं शिक्षणीय स्तरपर के बेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय:6.25बी.)

11. लेब एवं उसके उपरकरणों की सम्पूर्ण विवरण संख्या के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य उल्लिख कराये। (अध्याय:6.13)

12. संस्था की समस्त सूचनाएं संख्या के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी उल्लिख कराना सुनिश्चित करें। (अध्याय:6.16)

13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संख्या द्वारा आगामी वेबसाइट पर तथा संख्या के सूचना पट पर अवश्य चल्सी की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उल्लिख करायी जायेगी अन्यथा संख्या के विस्तृद्वय यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

14. अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

15. कार्यसी तथा आविष्टेकरण के समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियमक संख्या—कार्यसी कार्यसिल आफ इण्डिया/आविष्टेकरण कार्यसिल आफ इण्डिया (खेत लाए) का सत्र 2016–17 हेतु मान्यता का आदेश प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय वो अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अधेक्षित मान्यता आवेदन अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा संख्यान सत्र 2016–17 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम प्रवेश में प्रवेश नहीं दे सकेगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संख्यान का होगा।

16. संख्या का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत विसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कार्यवाही के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

17. जिन संख्याओं की अनाशंकित एवं विश्वविद्यालय के मानकों के समन्वय में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्वर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो संस्थानिक संख्याओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।

18. संख्या द्वारा प्रवेश में उल्लिख प्रवेश शैक्षणिक संख्याओं ने प्रवेश (अनुसुन्धित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों के आदेश जारी की दियते जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा कियारीत नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त अन्य प्रकार का शुल्क प्रवेश जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

19. विभिन्न संख्याओं के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के समन्वय में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनदेशों/आदेशों का अनुपालन संख्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा यदि संख्या द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।


20. संख्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संख्या में नवप्रवेशित/अव्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समय—समय पर फोस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई हों। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संख्या की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संख्या को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।

21.AMS (Academics Monitoring system) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ०प्र०प्र०वि०/कुस०का०/2014/ 4414–21 दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित करने की बाबत होगी।

22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संख्या द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संख्या का यह दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुसार शिक्षक अथवा शिक्षणेत्र कर्मचारियों को तत्काल कार्यपूर्त करना सुनिश्चित करेंगे। कठिपय कार्योंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संख्या द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अवश्यक होगा।

23. नियमक संख्याओं द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के सापेक्ष अत्याधिक न्यून प्रवेश के सन्दर्भ में जिन संख्याओं का गत वर्ष पंजीकरण 60 प्रतिशत से न्यून था उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2016–17 हेतु स्थित रखा गया है। आगामी सत्र 2017–18 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पंजीयित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

उपर्युक्त सर्वांकन के अनुपालन में दिच्छल अथवा संख्या के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमिया यादी जाने की स्थिति में संख्या की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संख्यान/प्रबन्धतत्र का होगा।

भवदीय

(को००० चौधरी)
कुलसंचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० कुलाधिकारी/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।

2. प्रमुख सचिव, प्राधिकारिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3. अध्यक्ष, अधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।

4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

5. गार्ड फाइल।